AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189

जेल मुक्त अपराधियों के पुनर्वास में शिक्षा का महत्वः विश्लेषणात्मक अध्ययन

ORIGINAL ARTICLE

Author
रवीन्द्र कुमार
विधि संकाय
डी. ए. वी. पी. जी. कॉलेज
लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत

शोध सार

अपराध, एक सामाजिक चुनौती है जिस पर दंडात्मक दृष्टिकोण मात्र से अंकुश लगाना संभव नहीं है। दण्ड केंद्रित व्यवस्था अपराध के मूल प्रमुख कारण जैसे अशिक्षा को दूर करने में विफल रही है, अतः अपराधों में बढ़ोतरी व पुनरावृत्ति देखी जाती हैं परंतु वर्तमान में सुधारात्मक एवं पुनर्वासात्मक सिद्धांत पर बल दिया जा रहा है, जिसमें शिक्षा एक सशक्त माध्यम के रूप में उभरी है, गुणवत्तापूर्ण समान शिक्षा से व्यक्ति के सामाजिक और बौद्धिक विकास से अपराध की प्रवृत्ति को रोका जा सकता है। किसी भी समाज को स्थाई तौर पर परिवर्तित करने के लिए शिक्षा एक कारगर हथियार है साथ ही, जेल में संचालित कौशल पूर्ण शिक्षण – प्रशिक्षण व कौशलपरक कार्यक्रमों से भी अपराधियों में साकारात्मक परिवर्तन लाकर उन्हें समाज में पुनः स्थापित होने में महत्वपूर्ण सहयोग मिलता हैं। इस प्रकार शिक्षा अपराध के रोकथाम और आपराधियों के सफल पुनर्वास हेतु एक प्रभावी रणनीति सिद्ध हो सकती है।

मुख्य शब्द

अपराधी, अपराधशास्त्र, पुनर्वास, शिक्षा, कौशलपरक प्रशिक्षण.

भूमिका

आधुनिक भारतीय विधिक क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले "अपराधी" शब्द की उत्पत्ति अप्रत्याशित रूप से "Culpable: prest d'averrer notre bille" जैसे एक विधिक लैटिन मैक्सिम से हुयी है। प्रारंभ में यह वाक्य संक्षेप रूप से "ब्नस. च्तपेज" के रूप में प्रयोग किया जाता था, परंतु बाद में इसका अपभ्रंश "Culprit" शब्द प्रयोग किया जाने लगा। भारतीय क्षेत्र में प्राचीन काल से आज तक प्रयुक्त होने वाला संस्कृत व्याकरण का "दोषी" शब्द, अपराधी शब्द के समानार्थी है।

"अपराधी" शब्द का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो विधिक रूप से अधिनियमित नियम का अवहेलना करता है। सरल शब्दों में, अपराध कारित करने वाला व्यक्ति "अपराधी" शब्द से निरोपित होता है। अपराध अर्थात गैर–कानूनी कृत्य एक गंभीर और जटिल सामाजिक समस्या के रूप में चिन्हित है, जिसका प्रभाव समाज की शांति व्यवस्था, कानून–व्यवस्था, लोक नीतियों तथा समग्र विकास पर पड़ता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है; वह व्यक्ति जो समाज कि शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था, लोक नीतियों या अन्य व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन व दैनिक दिनचर्या को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करे या प्रभावित करने का प्रयास करे, अपराधी कहा जाएगा।

21वीं सदी का दौर आधुनिकता के श्रेणी मे आता है मगर इस दौर में अप्रत्याशित रूप से बढ़ता अपराध सामाजिक चिंतन का विषय है। अपराध के घटकों के कई कारकों में से अशिक्षा या आसमान शिक्षा ने व्यक्ति के अपराध की प्रवृत्ति को और अधिक बल दिया है। उपरोक्त परिस्थितियों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है। अपराध नियंत्रण अब केवल राज्य के दायित्व तक सीमित विषय नहीं है, बल्कि अब एक व्यापक सामाजिक दायित्व है।

भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली, अंग्रेजी विधि व्यवस्था से प्रभावित रही है जो दंडात्मक दृष्टिकोण पर आधारित थी, जहाँ अपराध कृत्य व्यक्ति को दंड देकर समाज में बढ़ते अपराध के रोकथाम का प्रयास किया गया। औपनिवैशिक काल के भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता का मुख्य उद्देश्य, इस परिकल्पना के साथ कि अपराध दर मे कमी होगी, अपराध कृत्य व्यक्ति के मन मे विधि का भय उत्पन्न करना रहा है, किंतु वर्तमान आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि केवल दंडात्मक व्यवस्था मात्र ही अपराध दर मे कमी का स्थायी समाधान नहीं प्रदान कर सकती बल्कि बढ़ती जेल आबादी और अपराध की पुनरावृत्ति यह संकेत देती है कि दंड अपराध के मूल कारणों को समाप्त करने में असफल रहा है।

अतः आधुनिक भारतीय दण्ड–शास्त्र में पुनर्वासात्मक न्याय की अवधारणा को प्रमुखता से रखा गया है। इस दृष्टिकोण के अनुसार, अपराधी को केवल दंडित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे समाज का उपयोगी सफल सदस्य बनाने का अवसर भी दिया जाना चाहिए।

भारतीय न्यायपालिका के निर्णीत विभिन्न निर्णयों में न्यायमूर्तियों ने भी समय–समय पर यह स्वीकार किया है कि कारावास का उद्देश्य प्रतिशोध नहीं, बल्कि सुधार होना चाहिए।

इस संदर्भ में गुणवत्तापूर्ण समान शिक्षा व शिक्षण–प्रशिक्षण अपराध दर में गिरावट और अपराधियों के पुनर्वास का एक महत्वपूर्ण साधन बनकर उभरती है। अनेक सामाजिक एवं विधिक अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि शिक्षा और अपराध के बीच सीधा मगर व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। जहां एक ओर शिक्षा व्यक्ति को वैधानिक और सकारात्मक मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करती है, वहीं दूसरी ओर आपराधिक मनोवृति या अशिक्षित समाज तमाम अनैतिक जंजालों में घिरा मिलता है जहां विभिन्न प्रकार की असमानता, वैमनस्यता, अविधिक गतिविधियां देखने को मिलती हैं।

जेलों में शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से कारावास मे बंद व्यक्तियों में भी सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। शिक्षा, व्यक्ति को मानसिक एवं समाजिक स्तर पर बेहतर बनाती है, आत्मसम्मान प्रदान करती है तथा समाज में पुनः समायोजन की क्षमता विकसित करती है।

मानवाधिकार व संवैधानिक दृष्टिकोण से भी शिक्षा का महत्व अत्याधिक है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपराधियों के पुनर्वास में शिक्षा को एक मौलिक साधन के रूप में स्वीकार किया गया है।

साहित्य समीक्षा

प्रस्तुत साहित्य में जेल मुक्त अपराधियों के पुनर्वास में शिक्षा को एक केंद्रीय और रूपांतरकारी उपकरण के रूप में रेखांकित किया गया है। साहित्य बताते हैं कि शिक्षा, चाहे वह साक्षरता हो, या व्यावसायिक प्रशिक्षण हो या कानूनी जागरूकता, पुनरावृत्ति को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है साथ ही, गुणवत्तापूर्ण एकसमान शिक्षा अपराधी के पुनर्वास मे सहयोग करती है। यह व्यक्ति को आत्मविश्वास, रोज़गार के कौशल और सामाजिक एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती है; जिससे उसकी पारंपरिक अपराधी पहचान बदलती है। संवैधानिक प्रावधानों से भी शिक्षा को पुनर्वास का एक अनिवार्य अंग माना गया है। हालांकि, जेल शिक्षा कार्यक्रमों के व्यावहारिक क्रियान्वयन, संसाधनों की कमी और सामाजिक कलंक जैसी चुनौतियाँ भी अध्ययनों में उजागर हुई हैं।

अध्ययन का प्रसार

विधि केंद्रित शोध विषय "जेल मुक्त अपराधियों के पुनर्वास में शिक्षा का महत्वरू विश्लेषणात्मक अध्ययन" शीर्षक से यह सपष्ट है कि यह लेख आपराधिक विधि के आपराधिक दंडशास्त्र के संदर्भ मे शिक्षा के महत्व को व्याख्यित करेगा। कारावास मुक्त होने के पश्चात जो अपराधी सामान्य दैनिक जीवन एवं पुनर्वास करना चाहता में

शिक्षा के महत्त्व को उल्लिखित करता है। यह लेख मुख्य रूप से भारतीय कानूनी परिप्रेक्ष्य पर केंद्रित है, जो विस्तृत रूप से कारण एवं निराकारण को विस्तारित करता है। इस लेख में प्रस्तुत विचार लेखक के अध्ययन और अनुभव पर आधारित हैं, जिससे कुछ सीमाएँ भी हैं।

अनुसंधान क्रियाविधि

''जेल मुक्त अपराधियों के पुनर्वास में शिक्षा का महत्वः विश्लेषणात्मक अध्ययन'' पर शोधार्थी का शोध आलेख गुणात्मक शोध पद्धति के प्रयोग से लिखा गया है, जिसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों का समन्वयात्मक प्रयोग है। प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आधुनिक भारतीय दंडशास्त्र के विभिन्न सिद्धांत, भारत सरकार द्वारा अधिनियमित अधिनियम, विधिक तंत्र तथा पुनर्वास में शिक्षा के महत्तव का तुलनात्मक अध्ययन सम्मिलित है।

अध्ययन की मौलिकता अपराधशास्त्र, दण्डशास्त्र और स्थानीय कानूनी यथार्थ के संश्लेषण में निहित है। लेख को और अधिक परिस्कृत करने के ध्येय से द्वितीयक स्रोत में मैंने शोध शीर्षक से जुड़ी विषय संबंधित प्रामाणिक पुस्तकों, शोध–पत्रों, विश्वसनीय लेख, तथा ऑनलाइन डेटाबेस से प्राप्त तथ्यों का व्यवस्थित विश्लेषण किया है।

विचार विमर्श

अपराधः भारतीय विधि के अलग – अलग अधिनियमों में ''अपराध'' शब्द को परिभाषित किया गया है। विधि में ''अपराध'' शब्द का तातपर्य ऐसा कृत्य से है जो अधिनियमित विधि द्वारा प्रतिबंधित हो या फिर अधिनियमित विधि द्वारा किसी न किसी रूप में दण्डित किए जाने की श्रेणी में आता हो।

अपराधीः अपराधी शब्द की परिभाषा आपराधशास्त्र व दंडशास्त्र के सिद्धांतों मे सपष्ट रूप से मिलता है। यानि वह कोई भी व्यक्ति जिसने विधि का दूरपयोग या विधि का अवहेलना किया हो, दोष सिद्ध उपरांत वह व्यक्ति अपराधी के श्रेणी मे आता है। हमें यह सपष्ट रहना चाहिए की अपराधी शब्द का भावार्थ पुलिंग एवं स्त्रीलिंग दोनों के लिए प्रयुक्त होता है।

पुनर्वास में समस्याएंः अपराधियों के पुनर्वास में होने वाली समस्याओं के कारणों को वृहद तौर पर आकलन करें तो हम पाएंगे की अपराधियों के पुनर्वास में आने वाली समस्याओं के चार प्रमुख कारक संभव हैं जो कई अन्य शाखाओं में बंटते चले जातें हैं। यह चार बड़े कारक निम्नलिखित हैंः 1). शैक्षणिक कारक 2). सामाजिक कारक 3). आधुनिक कारक 4). पारिवारिक कारक।

1) **शैक्षणिक कारकः** जब कोई अपराधी शिक्षा के अभावों या अन्य व्यक्तिगत परेशानियों से तंग आ कर या मानसिक समस्या की वजह से या कठोर परिवेश की वजह से या अनदेखा होने की वजह से अपराध की ओर अग्रसर होने लगे व उसके पुनर्वास मे समस्या आए तो ऐसे कारकों को शैक्षणिक कारक के श्रेणी में रखा जा सकता है जो निम्न प्रकार से हैः
   - मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ।
   - यौन शिक्षा की कमी।
   - सीखने की अक्षमता या संज्ञानात्मक कमियाँ।
   - गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी।
   - समान शिक्षा की कमी।
   - कौशलपरक शिक्षण–प्रशिक्षण की कमी।
   - आक्रामकता की प्रवृत्ति।
   - आवेगों पर नियंत्रण की कमी।
   - कम आत्म–सम्मान और हीनभावना।
   - नैतिक विकास में कमी।

2) **सामाजिक कारकः** अपराधियों के पुनर्वास में सामाजिक घटनाओं, आर्थिक कमियों या अन्य असामाजिक तत्वों से प्रभावित या उसके आस पास के असामाजिक वातावरण या आपराधिक क्षेत्र में रहने के कारण अपराधियों के पुनर्वास में समस्या, पुनर्वास के सामाजिक कारक के रूप में देखा जाता है जो निम्न प्रकार से हैः

- आर्थिक कमियां।
- अनुचित पालन–पोषण।
- अस्वस्थ पड़ोस और आवासीय वातावरण।
- अपराध के लिए अवसर की उपलब्धता।
- नशीले पदार्थों का भोग।
- सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव।
- सामाजिक मानदंडों और मूल्यों का क्षरण।

3) **आधुनिक कारकः** वैसा कोई कारक जो आधुनिकता के प्रभाव से अपराधी के पुनर्वास में बाधा उत्पन्न करे या आधुनिकता के दौर में उपलब्ध सामग्रीयों या नीतियों के कुप्रभाव से अपराधी के पुनर्वास मे समस्या पैदा हो तो ऐसे कारक को अपराधियों के पुनर्वास में आने वाली समस्या का आधुनिक कारक कहा जाता है जो निम्न प्रकार से हैः

- डिजिटल और सोशल मीडिया का प्रभाव।
- साइबर अपराध में आसानी।
- ऑनलाइन गेमिंग और उसकी लत।
- डिजिटल आर्थिक कपट।
- ट्रॉलिंग एवं हेट स्पीच का प्रभाव।
- चरमपंथी विचारधारा व आपत्तिजनक चीजों का सेंसर बेगैर ऑनलाइन प्रसार।

4) **पारिवारिक कारकः** अपराधियों के पुनर्वास में परिवारों के परिवेश का व उनके व्यवहार तथा अपराधी के प्रति परिवार माहौल व भावनात्मक लगाव भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अनुकूल परिस्थिति न होने होने पर अपराधियों के पुनर्वास मे बड़ी समस्या देखी जाती है क्योकि एक परिवार किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा भावनात्मक सहारा होता है जो निम्न प्रकार से हैः

- पारिवारिक शैक्षिणक पृष्ठभूमि।
- पारिवारिक जागरूकता।
- सामाजिक सक्रीयता।
- नयापन में कमी।
- विचारों में कठोरता व जटिलता।
- भावनात्मक लगाव।
- अनुचित पालन–पोषण।

चुनौतियाँ

अपराधियों का पुनर्वास न सिर्फ विधिक चुनौती है जबकि एक स्थायी सामाजिक चुनौती भी है, जहां राज्य का दायित्व विशेष तौर पर बढ़ जाता है। विभिन्न न्यायलय निर्णीत वाद में भारतीय म. उच्चतम न्यायालय ने यह सपष्ट किया है कि व्यक्ति की जीवन मात्र ही व्यक्ति का सर्वोतम अधिकार नहीं है जबकि जीवन के साथ गरिमापूर्ण

जीवन भी सांविधानिक अधिकार है; जिसमें अपराधी भी शामिल है। समाज में विधि व्यवस्था का संतुलन बनाये रखते हुए व अपराधियों के प्रति कठोर रवैया न अपनाते हुए अपराधियों को अपराध के मार्ग से हटाना अपने आप में एक विषम चुनौती है।

समाज की सुरक्षा और अपराधियों के हितों के बीच संतुलन बनाना एक जटिल चुनौती है, जिसमें कई कारक बाधा बनते हैं।

सबसे पहले, शिक्षण–प्रशिक्षण का अभाव और कौशलपरक योजनाओं की कमी; जिससे अपराध की मूल जड़ों को समझना और उन्हें दूर करना मुश्किल हो जाता है साथ ही, आधुनिक उपकरणों में उचित सेंसर के अभाव के कारण निगरानी और पुनर्वास प्रक्रियाएँ अप्रभावी रहती हैं। शिक्षण संस्थानों व कौशलपरक योजनाओं का अभाव और उनके होने पर भी उचित प्रबंध न होना एक बड़ी समस्या है। सामान्य पुलिस द्वारा पुनर्वासित अपराधियों के साथ अविधिक व्यवहार और जेलों में घटित होने वाला अमानवीय व्यवहार सुधार की संभावनाओं को कमजोर करता है। पारिवारिक एवं कार्यस्थल का विषाक्त वातावरण भी अपराधी के पुनर्वास में प्रतिकूल प्रभाव डालता है साथ ही, संविधान द्वारा प्रदत्त, दूसरों के अधिकारों और विधि जनित अधिकारों के ज्ञान का अभाव से भी पुनर्वास में बाधा उत्पन्न होता है।

एक और गंभीर मुद्दा यौन शिक्षा का घोर अभाव है, जबकि इसके ठीक उलट यौन सामग्री की सुलभता भ्रम पैदा करती है। अंत में, अपराधियों के प्रति अति–संवेदनशीलता या शून्य–संवेदनशीलता का चरम रवैया संतुलित दृष्टिकोण में बाधा डालता है।

उपचार

अपराधियों के पुनर्वास में सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसके परिवार की होती है जो उन्हें उचित मार्ग प्रसस्थ करतें हैं; परिणामतः अपराधी अपराध की दुनिया की और पुनः अग्रसर न हो सकें। यह स्थिति केवल विधिक तौर पर न हो कर बल्कि आदि काल से चले आ रहे पारिवारिक शिक्षण परम्परा का हिस्सा है, जिसमें परिवार स्तर पर प्रदान की गई सामाजिक शिक्षा व नैतिक शिक्षा को पुनर्वास के लिए प्रेरित अपराधी के लिए हितैसी माना गया है। तदुपरान्त राज्य अपराधियों के पुनर्वास में अपने दायित्व को विभिन्न उपायों से पूरा करता है जिनका वर्गीकरण मुख्यतः दो प्रकार से संभव हैः 1. प्रत्यक्ष उपाय एवं 2. अप्रत्यक्ष उपाय। अपराधियों के पुनर्वास से सबंधित प्रयास को निम्न प्रकार से विस्तृत रूप में देख सकतें हैं।

1. **प्रत्यक्ष उपाय या उपचारः** राज्य द्वारा प्रयुक्त प्रत्यक्ष उपाए में वह सभी उपाय देखें व समझे जा सकतें हैं जो राज्य द्वारा सीधे तौर पर अपराधियों में बढ़ते अपराध को कम करता है या उनमें बढ़ते अपराध की मनोभावना को कम करता है जिनमें अपराधियों के प्रति न्याय के लिए विधि का निर्माण, कौशलपरक योजनाओं की स्थापना, जेलों में अपराधियों के प्रति नरम व मानवीय व्यवहार, सुधार के संभवनाओं का विकास, अन्य प्रकार के लत को छुड़ाने के लिए पुर्नसुधार केंद्र का विकास इत्यादि शामिल है।
2. **अप्रत्यक्ष उपाय या उपचारः** राज्य द्वारा प्रयुक्त अप्रत्यक्ष उपाय में वह सभी उपाए देखें व समझे जा सकतें हैं जो राज्य द्वारा सीधे तौर पर न दे कर अप्रत्यक्ष रूप से अपराधियों ले पुनर्वास में सहायक होता है या उन्हें उन परिस्थितियों से बाहर निकालने में मदद करता है जिनमें अपराधियों के सामाजिक वातावरण को व्यवस्थित करना, पारिवारिक संरचना व उनमें शिक्षा को बढ़ावा देकर परिवार को सुदृढ़ करना, उनके घर मुहल्लो को बेहतर स्थिति में लाना दैनिक जीवन को बेहतर एवं सुलभ बनाना, रोजगार के अवसर की व्यवस्था एवं अन्य सहकारी संस्थाओं एवं गैर–सहकारी संस्थाओं की मदद से उन्हें लाभ पंहुचा कर अपराधियों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का उपाए शामिल है।

अन्य समाधानः विभिन्न विधिक उपचार एवं गैर–विधिक उपायों के अलावा अन्य समाधान के लिए हमें कुछ नैतिक सिद्धांतो को भी सदैव अपने मस्तिष्क में रखना चाहिए; जिससे अपराधियों के पुनर्वास में संभावना बढ़े साथ

ही जो व्यक्ति अपराध की ओर अग्रसर हो चुकें हैं वह वापिस आम दैनिक जीवन वापसी कर सकें, जैसेः अपराधी को सुने जाने की सुलभता होनी चाहिए साथ ही उनको हितकारी कारकों में भाग लेने या उन्हें समझे जाने के लिए अवसर प्राप्त होना चाहिए।

सभी के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि पुनर्वास को प्रयासरत अपराधियों के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न हो साथ ही, प्रतिकूल या अभियोगात्मक शब्दों का प्रयोग न हो। अपराधियों को कारावास की अवधि पूर्ण करने के उपरांत उनके कारावास के इतिहास की गोपनीयता बनाये रखने का अधिकार प्राप्त है, उन्हें सामान्य दैनिक जीवन जीने का अवसर (कुछ विशेष अपवादों के अधीन) मिलना चाहिये। इन सबसे बढ़कर महत्वपूर्ण है, एक नये सिरे से जीवन की शुरुआत करने का सम्पूर्ण अधिकार देना साथ ही, पुनर्वास के सभी बुनियादी मानकों व सुविधाओं का लाभ उन्हें बिना किसी भेदभाव या पक्षपात के समान रूप से उपलब्ध होना चाहिये।

निष्कर्ष

शिक्षा अपराधियों का समाज में पुनर्वास में शिक्षा एक अत्यंत प्रभावी और परिवर्तनकारी विकल्प है। केवल दंडात्मक सिद्धांत अपराध के मूल कारणों, विशेष रूप से अशिक्षा व अन्य विषमताओं, को समाप्त करने में असफल है; जिससे अपराध की पुनरावृत्ति और जेल आबादी में वृद्धि देखी गई है। सुधारात्मक एवं पुनर्वासात्मक सिद्धांत की अवधारणा से, जिसमें शिक्षा और कौशलपरक प्रशिक्षण को प्रमुख तौर पर है, अपराधी को एक दायित्वपूर्ण नागरिक के रूप में पुनर्वास करने का मददगार साबित होती है।

गुणवत्तापूर्ण, समान व कौशलपरक शिक्षा न केवल अपराधी के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाती है, बल्कि उसको रोजगार प्रदान कर समाज के मुख्य धारा में जोड़ती है। शिक्षा अपराध की पुनरावृत्ति दर को कम करने व व्यक्ति को सामाजिक मूल्यों एवं कानूनी नियमों के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

हालाँकि, इस मार्ग में शैक्षिक, सामाजिक, आधुनिक और पारिवारिक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उपायों के माध्यम से, जैसे कि जेलों में कौशलपरक शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन, पारिवारिक सहयोग को मजबूत करना, रोजगार के अवसर सृजित कर, अपराधियों के पुनर्वास की सफलता सुनिश्चित की जा सकती है।

अंततः, शिक्षा को अपराध निवारण और पुनर्वास की एक मौलिक रणनीति के रूप में अपनाना न केवल अपराधी के जीवन को सकारात्मक दिशा देगा, बल्कि एक न्यायपूर्ण, सुरक्षित और संतुलित समाज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा।

संदर्भ सूची

1. https://www.etymonline.com/word/culprit, Accessed on 30/09/2025.
2. परांजपे एन. वी. (2019) *अपराध विज्ञान एवं दंड विज्ञान,* 19वां संस्करण, सेंट्रल लॉ एजेंसी, प्रयागराज।
3. ibid
4. झा, रमनाथ; भारत में अपराधः आंकड़ा संग्रह एवं विश्लेषण का एक आलोचनात्मक समीक्षा, https://www.orfonline.org/research/crime-in-india-a-critical-review-of-data-collection-and-analysis, Accessed on 30/09/2025.
5. देशमुख (2016) *अपराध, समाज और शिक्षा.* समाजशास्त्र प्रकाशन, पुणे।
6. जैन, एम. पी. (2012) भारतीय विधिक एवं संवैधानिक इतिहास का रूपरेखा (लेक्सिसनेक्सिस बटरवर्थ्स वाधवा, नागपुर, छठा संस्करण) और; पाण्डेय जे.एन. (2023) भारत का संवैधानिक विधान, 58वाँ संस्करण, सेंट्रल लॉ एजेंसी; और; परांजपे एन. वी. (2019) अपराध विज्ञान एवं दंड विज्ञान, 19वाँ संस्करण, सेंट्रल लॉ एजेंसी, प्रयागराज।

7. ibid
8. वर्मा, एस. (2016) *अपराधी पुनर्वास में सामाजिक शिक्षा.* सामाजिक न्याय प्रकाशन, पटना।
9. ibid
10. सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, (1978) 4 SCC 494; मेनका गांधी बनाम भारत संघ, AIR 597, 1978 SCR (2) 621।
11. रावत, के. (2021) *कानून, शिक्षा और सुधार.* विधि और समाज प्रकाशन, दिल्ली।
12. मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणाः अनुच्छेद 1, 5; नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाः अनुच्छेद 10, अर्थव्यवस्था, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदारू अनुच्छेदः 11; भारतीय संविधानः अनुच्छेद 21, 14 व राज्य के नीति निदेशक तत्व।
13. धारा 40: भारतीय दंड संहिता, 1860 अब धारा 2(24) भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023; धारा 2(n) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 अब धारा 2(q) BNSS, 2023; धारा 3(38): सामान्य उपबंध अधिनियम, 1897; धारा 2(45): किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015; धारा 2(viii): नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम, 1985; धारा 2(1)(o): सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000; धारा 2(1)(y): धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002; धारा 2(17): लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012; धारा 2(o): गैर–कानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम, 1967; धारा 2(38): कंपनी अधिनियम, 2013; धारा 2(o): शस्त्र अधिनियम, 1959; धारा 2(38): सीमा शुल्क अधिनियम, 1962।
14. id: 2
15. ibid
16. वर्मिथ, जे.; अलहाउस, रिचर्ड; सिम्पसन, रीट्ज़ेल; लोरेन (2007) अपराधियों का पुनर्वास और पुनः एकीकरणः सुधारात्मक मनोविज्ञान की वर्तमान परिदृश्य और कुछ भविष्य की दिशाएँ; आपराधिक न्याय और व्यवहार, 34(7) 879–892।
17. ibid
18. ibid
19. ibid
20. Id at: 10
21. धारा 5, 9 और 10: किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015; धारा 6: बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009; धारा 26: दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995। व प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) – PMAY-G – 2016, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) – PMAY-U – 2015, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) – 2015, जल शक्ति अभियान (Jal Shakti Abhiyan) – 2019, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) – SBM-G – 2014, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) – SBM-U – 2014, शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) – 2013

––==00==––